तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर** **अपील नं. 47/2024 किस्म 225 आर.टी.एक्ट.** **बउनवान पेमाराम वगैरह बनाम वन्नाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पीठासीन अधिकारीः— श्री नवनीत कुमार, आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री उगराराम सहारण, श्री केसाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

श्री हरीराम चौधरी अधिवक्ता रेंस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.04.2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 48/2024 बउनवान वनाराम वगैरह बनाम पेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उभयपक्षकारान ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान में अपीलांटगण व उत्तरदातागण के मध्य समाज के मौजिज लोगों व रिश्तेदारों ने आपस में राजीनामा करवा दिया है जिस राजीनामा के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता को खसरा संख्या 112 रकबा 8.8545 हैक्टेयर मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी के बीचोंबीच से 12 फीट चौड़ा रास्ता निकाला जाना दोनों पक्षकारान द्वारा प्रस्तावित किया गया है जो संलग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से मार्क ए, बी, सी से दर्शाया गया है वहा से रास्ता निकालने हेतु दोनों पक्षकारान पूर्णतया सहमत है इसलिये पुराना रास्ता जो खसरा नम्बर 112 के सेढा–सेढा निकाला गया है उसे निरस्त करते हुये पुनः नये सिरे से खसरा नम्बर 112 के बीचोंबीच संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल मार्क ए, बी, सी दर्शाया गया है वहां से रास्ता निकालने हेतु दोनों पक्षकारान पूर्णतया सहमति व राजी बाजी हैं जिसमें दोनों पक्षकारान को कोई उजर आपत्ति नहीं है इसलिये उक्त राजीनामा के परिशिष्ट 'अ' के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है तथा उक्त परिशिष्ट को राजीनामा का अभिन्न अंग माना जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की राजीनामा पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि उभयपक्ष की आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश राजीनामा को स्वीकार किया जाता है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 48/2024 बउनवान वनाराम वगैरह बनाम पेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 को निरस्त किया जाता है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजीनामे को तस्दीक किया गया एवं प्रस्तुत नक्शे पर सी.एस. /स्वीकृत लिख हस्ताक्षर किये शामिल मिसल किया। मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी के खसरा संख्या 112 रकबा 8.8545 हैक्टेयर भूमि के बीचों बीच से 12 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित रास्ता बिंदु संख्या ए, बी, सी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हे। परिशिष्टि 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। मुताबिक आदेश तहसीलदार, रामसर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमलदरामद कर लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। क्षतिपूर्ति राशि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 की पालना में जमा करवाई गई हो तो उसका समायोजन करें। तहसीलदार, रामसर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

22/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

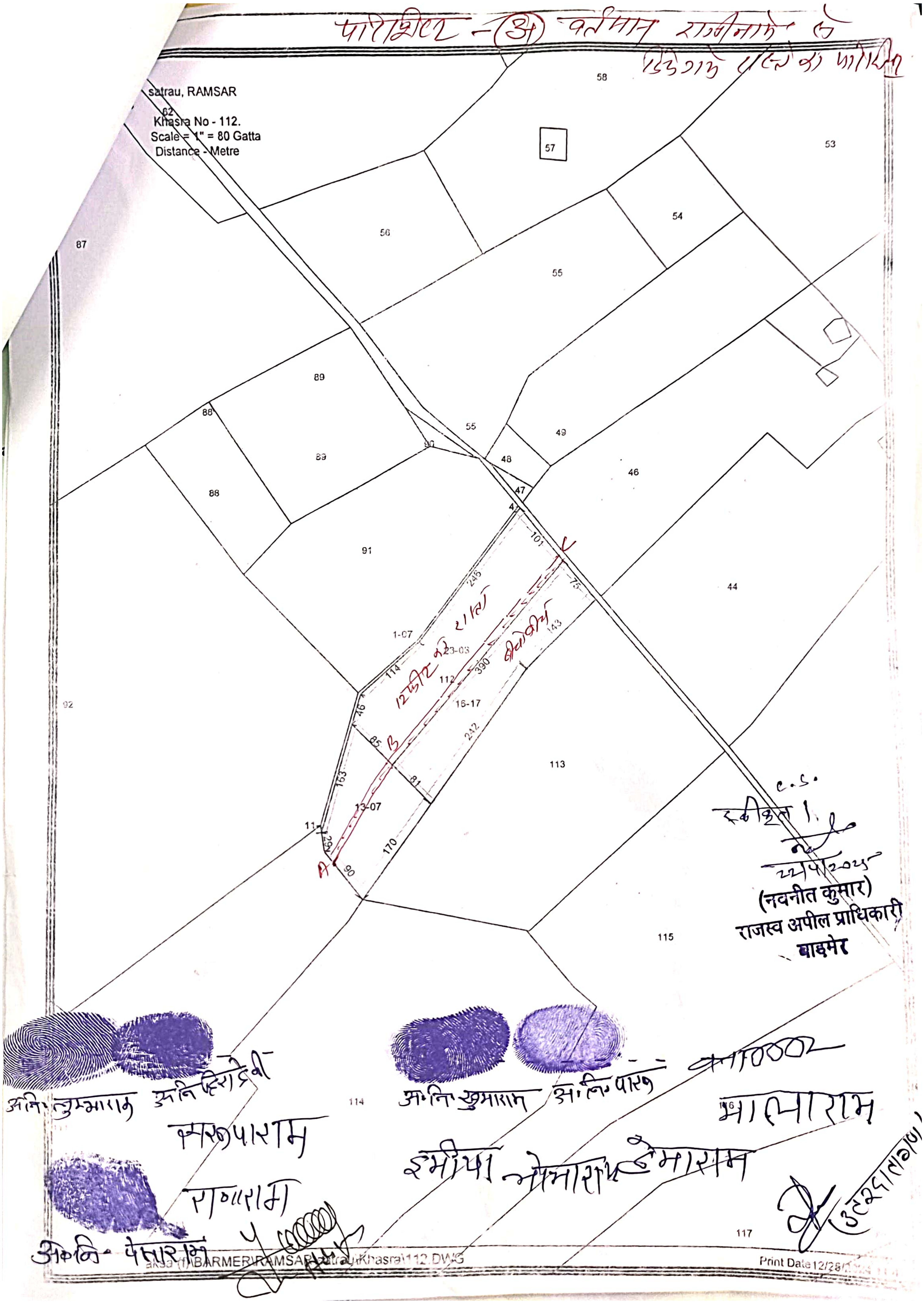
satrau, RAMSAR
Khasra No - 112.
Scale = 1" = 80 Gatta
Distance - Metre
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
Print Date12/28/